(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 1/2020

बउनवान

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ (राज.)
2– श्री जयनारायण पुत्र गोपाल जाति लोधा (तत्कालीन हल्का पटवारी) तहसील छबडा

(प्रार्थी)

बनाम

1– जगदीश प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी कोलूखेडा तहसील छबडा जिला बारॉ
2– बहादुर सिंह पुत्र जवान सिंह राजपूत निवासी सीमल्या तहसील नामली जिला रतलाम **(मृतक)**
2/1 रणवीर सिंह पुत्र बहादुर सिंह राजपूत निवासी सीमल्या तहसील नामली जिला रतलाम म.प्र.

(अप्रार्थीगण)

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2– श्री हजारी लाल भार्गव अभिभाषक (प्रार्थी क्रम 2)
3– श्री सत्येन्द्र शर्मा अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1)
4– श्री चन्द्रदीप सिंह चौहान अभि0 (अप्रार्थी क्रम 2/1)

निर्णय दिनांक 14.01.2021

राजस्थान सरकार जर्ये :– प्रार्थी तहसीलदार छबडा द्वारा रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दीलोद तहसील छबडा जिला बारॉ का तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 1209 दिनांक 12.1.2015 खारिज फरमाया जावे।

रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत करने पर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे पक्षकारान द्वारा जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय मे उपस्थित होकर, जवाब प्रस्तुत किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण मे श्री सत्यनारायण बसवाल (तत्कालीन तहसीलदार छबडा) एवं श्री जयनारायण पुत्र गोपाल लोधा (तत्कालीन हल्का पटवारी) की ओर से श्री हजारी लाल भार्गव अभिभाषक द्वारा विचाराधीन रेफरेंस प्रार्थना पत्र मे शीघ्र सुनवाई की जाकर निर्णय पारित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया जाकर, प्रकरण को दिनांक 1.10.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रकरण मे अप्रार्थी क्रम 2/1 के बयान लिये जाकर, शामिल पत्रावली किये गये और प्रकरण मे उभयपक्ष की विस्तृत/अन्तिम बहस सुनी गई।

राज0 सरकार जर्ये प्रार्थी क्रम 1 तहसीलदार छबडा की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस रेफरेंस प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया गया कि :–

1. यह है कि ग्राम दीलोद तहसील छबडा जिला [illegible] जमाबन्दी सम्बत 2071–74 के खाता संख्या 127 में दर्ज खसरा नम्बर 174 [illegible] 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 181 रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा भूमि बहादुर सिंह पुत्र जवान सिंह राजपूत साकिन सीमल्या तहसील नामली जिला रतलाम (म.प्र.) की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.02.15 17:10:30 IST
Reason: SelfAttested

2. यह है कि ग्राम दीलोद के खसरा नम्बर 181 रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा भूमि नामान्तरकरण संख्या 1209 दिनांक 12.01.2015 से बहादुर सिंह पुत्र जवान सिंह राजपूत सा0 सीमल्या तहसील नामली जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) के स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी कोलूखेडा के नाम दर्ज हुई है।
3. यह है कि नामान्तरकरण संख्या 1209 पटवारी हल्का दीलोद ने विक्रय पत्र रजि0 दिनांक 11.07.1978 एवं तहसील के आदेश क्रमांक/भू अभिलेख/14/6917 दिनांक 26.12.2014 का हवाला देकर दिनांक 27.12.2014 को दर्ज किया। जिसकी जांच भू अभिलेख निरीक्षक मूण्डला ने दिनांक 02.01.2015 को की है तथा उक्त नामान्तरकण दिनांक 12.01.2015 को तत्कालीन तहसीलदार छबडा द्वारा स्वीकृत किया गया है।
4. यह है कि ग्राम दीलोद के वर्तमान पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक ने रिपोर्ट पेश कर बताया है कि दिनांक 11.07.1978 को ग्राम दीलोद की भूमि खसरा नम्बर 181 रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा का बहादुर सिंह पुत्र जवान सिंह राजपूत सा0 सीमल्या तहसील नामली जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) के द्वारा जगदीश प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी कोलूखेडा के नाम कोई विक्रय पत्र पंजीयन नहीं हुआ है। इसलिये दिनांक 11.07.1978 के विक्रय पत्र का हवाला देकर दर्ज किया गया, नामान्तरकरण संख्या 1209 ग्राम दीलोद खारिज योग्य है। रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम दीलोद तहसील छबडा जिला बारॉ का नामान्तरकरण संख्या 1209 दिनांक 12.1.2015 को खारिज फरमाया जावे।

श्री जयनारायण पुत्र गोपाल लोधा प्रार्थी क्रम 2(तत्कालीन हल्का पटवारी) कडैयानोहर तहसील छबडा जिला बारॉ की ओर से श्री हजारी लाल भार्गव अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनो को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि ग्राम हाथी दीलोद के माल मे आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा खातेदार बहादुर सिंह के खाते दर्ज थी। यह कि जगदीश प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी कोलूखेडा तहसील छबडा ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 1.9.2014 को तहसीलदार छबडा के समक्ष प्रस्तुत किया कि उक्त आराजी दिनांक 11.7.78 को 13000/– रूपये मे मेरे द्वारा क्रय की है। इसलिए इन्तकाल मेरे नाम खोले जाने की कृपा करे। इस हेतु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटो प्रति भी प्रस्तुत की, बाद जांच तत्कालीन तहसीलदार सा0 ने दिनांक 26.12.2014 को प्रार्थी को आदेश दिया कि विवादित आराजी का इन्तकाल जगदीश प्रसाद के पक्ष मे खोला जाकर रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। मुताबिक आदेश तत्कालीन तहसीलदार के आदेशानुसार एवं कानूनगो की रिपोर्ट के बाद श्रीमान तहसीलदार सा0 ने दिनांक 12.1.2015 को इन्तकाल तस्दीक कर दिया। यह कि प्रार्थी की नियुक्ति वर्ष 2013 मे पटवारी पद पर हुई थी। उस समय मैने तहसीलदार साहब के आदेश की अनुपालना मे इन्तकाल खोला है। जो बाद मे तहकीकात करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त फोटो कापी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की जगदीश प्रसाद द्वारा फर्जी तैयार कर तहसीलदार सा0 के समक्ष प्रस्तुत कर इन्तकाल खुलवाने का आदेश प्राप्त किया है। प्रार्थी की नई–नई नौकरी थी, प्रार्थी की किसी प्रकार की कोई दुरभि सन्धि नही थी, मौके पर कब्जा जगदीश प्रसाद का था। खातेदार बहादुर सिंह मध्य प्रदेश रहता था और आराजी जगदीश प्रसाद से काश्त करवाता था। पूर्व खातेदार बहादुर सिंह की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.02.15 17:10:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा जानकारी की तो पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है तथा तहसीलदार सा0 के फर्जीवाडे की जानकारी होने पर उक्त इन्तकाल का रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर रखा है। उक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इन्तकाल नम्बर 1209 दिनांक 12.01.2015 निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत अप्रार्थी क्रम 1 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के कथनों को दौहराते हुये निवेदन किया गया कि ग्राम दीलोद भू–अभिलेख क्षेत्र मूण्डला तहसील छबडा जिला बारॉ मे खाता संख्या नया 127 पुराना 129 की आराजी खसरा नम्बर 174 रकबा 0.06 हेक्टयर, खसरा नम्बर 181 रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 27.09 हेक्टयर सम्वत् 2071–2074 मे बहादुर सिंह पुत्र जवान सिंह राजपूत निवासी सीमल्या तहसील नामली जिला रतलाम (म.प्र.) के खाते दर्ज थी। उक्त आराजियात खसरा नम्बर 181 रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा को खातेदार बहादुर सिंह पुत्र जवानसिंह ने दिनांक 11.7.78 को जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण धाकड निवासी कोलूखेडा तहसील छबडा को बिल एवज 13000/– रूपये मे विक्रय कर दिया गया था तथा आराजियात पर कब्जा काश्त क्रेता जगदीश को सम्भला दिया गया था, विक्रय दिनांक 11.7.78 (41 वर्ष) से क्रेता जगदीश ही उक्त आराजियात पर काबिज काश्त चला आ रहा है क्रेता ने उक्त आराजियात को हांक जोतकर काफी मेहनत मजदूरी कर पैसा खर्च कर बंजड भूमि को काबिल काश्त बनाया है।

यह कि क्रेता उक्त आराजियात पर काफी वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकारो के संदर्भ मे कोई विवाद न होने से प्रार्थी उक्त आराजी पर इंतकाल खुलवाकर अपने खाते दर्ज नही करवा सका था। प्रार्थी के रिश्तेदारों व पुत्रों के कहने पर प्रार्थी ने दिनांक 1.9.2014 को तहसीलदार छबडा को उक्त आराजी का नामान्तरकरण खोलने बाबत दिनांक 1.9.2014 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार छबडा ने हल्का पटवारी को कब्जे एवं रिकार्ड आदि की स्पष्ट रिपोर्ट करने हेतु आदेशित किया था। तहसीलदार छबडा के आदेशानुसार हल्का पटवारी दीलोद ने दिनांक 12.11.2014 को तहसीलदार छबडा को एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, जिसमे खसरा नम्बर 181 रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा भूमि खातेदार बहादुर सिंह पुत्र जवान सिंह के खाते दर्ज होना बताया तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.7.1976 की प्रति के अनुसार उक्त आराजियात खातेदार विक्रेता बहादुर सिंह द्वारा जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण धाकड निवासी कोलूखेडा के नाम विक्रय होना अंकित किया तथा क्रेता जगदीश का उक्त आराजियात पर काबिज काश्त होना बताया तथा उक्त भूमि मे सिंचाई हेतु ट्यूबवैल होना भी बताया। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व मौके की स्थिति का अवलोकन करने के पश्चात तहसीलदार छबडा ने दिनांक 10.12.2014 को पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की अनुपालना मे नामान्तरकरण खोलने का आदेश जारी कर दिया।

यह कि प्रार्थी द्वारा नामान्तरकरण खोलने का प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 26.12.2014 को [illegible]य तहसीलदार छबडा के पत्र क्रमांक/भू.अ./2014/6917 दिनांक 26.12.2014 [illegible] इस बाबत पटवारी हल्का को जारी किया कि पटवारी हल्का [illegible] भू-अभिलेख [illegible] करे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तथ्य सामने आया कि दिनांक 11.7.1978 को खातेदार बहादुर सिंह पुत्र जवान सिंह ने आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा [illegible] जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण को उक्त आराजियात विक्रय कर दी है तथा मौके पर क्रेता काबिज काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.02.15 17:10:30 IST
Reason: SelfAttested

है एवं न्यायालय मे कोई प्रकरण विचाराधीन नही है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल खोलने का आदेश जारी कर दिया।

यह कि तहसीलदार छबडा के पत्र क्रमांक 6917 दिनांक 26.12.2014 की पालना मे दिनांक 12.01.2015 को आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा का इन्तकाल नम्बर 1209 तस्दीक कर प्रार्थी के खाते दर्ज कर दिया। यह कि विक्रेता बहादुर सिंह के पुत्र रणवीर सिंह ने दिनांक 1.6.2017 को थाना कवाई मे एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 153 इस आशय की दर्ज करवाई है कि दिनांक 11.7.78 की प्रति कोटा उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त नही हुई है अस्तु उक्त विक्रय पत्र फर्जी व बनावटी है। यह कि पुलिस थाना कवाई में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 153 मे माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा बेल नं0 17859/17 दिनांक 11.1.2018 को प्रार्थी की अग्रिम जमानत स्वीकार की जा चुकी है।

यह कि दिनांक 11.7.78 को प्रार्थी के पक्ष मे किया गया विक्रय पत्र विधि सम्मत व सही है तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल नम्बर 1209 तस्दीक किया गया है, जो विधि के अनुसार सही है। इसमे किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नही बरती गई है। यह कि विक्रेता बहादुर सिंह पुत्र रणवीर सिंह द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट मे कोटा उप पंजीयन कार्यालय मे विक्रय पत्र का उपलब्ध होना नही बताकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है मात्र इस आधार पर यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है अप्रार्थी ने समस्त आवश्यक दस्तावेज वक्त नामान्तरकरण प्रस्तुत कर दिये थे, दिनांक 30.7.2015 को प्रार्थी के घर पर हुई चोरी मे महत्वपूर्ण कागजात व नकदी सोना चांदी चोरी मे चले गये थे, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी ने थाना कवाई मे दर्ज करवा दी थी।

यह कि अप्रार्थी उक्त आराजियात पर अर्सा करीब 40–45 वर्षो से काबिज काश्त है विक्रेता के पुत्र द्वारा अर्सा लगभग 41 वर्ष बाद उक्त कार्यवाही प्रस्तुत की गई है, इतने लम्बे समय का कोई स्पष्ट कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उक्त इंतकाल को खारिज करवाने से पूर्व उक्त विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से शून्य घोषित करवाया जाना चाहिए। उक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

इसके विपरीत अप्रार्थी कम 2/1 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब/आपत्ति के कथनों को दौहाराते हुये निवेदन किया गया कि उपरोक्त प्रकरण के संबंध मे पूर्व से एफ.आई.आर. कमांक 153 दिनांक 1.6.2017 अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आई.पी.सी. थाना कवाई जिला बारॉ दर्ज होकर जांच एवं विचारण लम्बित है। उपरोक्त रेफरेंस एवं नामान्तरकरण के संबंध मे कूटरचित दस्तावेज बनाकर मुलजिमान जगदीश प्रसाद, तत्कालीन पटवारी जयनारायण लोधा, तत्कालीन तहसीलदार सत्यनारायण बसवाल, कानूनगो, भू–अभिलेख निरीक्षक इत्यादि के विरूद्ध उक्त आराजी खसरा नम्बर 174, 181 रकबा 27 बीघा 9 बिस्वा भूमि को आपस मे षड्यंत्र कर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अन्य के नाम करने के कारण फरियादी रणवीर [illegible] स्व0 बहादुर सिंह के द्वारा की गई शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट एफ.आई.आर. कमांक 153 अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आई.पी.सी. दिनांक 1.6.2017 थाना कवाई जिला बारॉ मे दर्ज की गई थी। जिसमे अभियुक्त तत्कालीन पटवारी जयनारायण लोधा, जगदीश प्रसाद गिरफ्तार किये जा चुके है तथा तत्कालीन तहसीलदार सत्यनारायण बसवाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे प्रस्तुत याचिका एस.बी. क्रिमिनल मिस सेलिनियस बेल कमांक 7099/2018 खारिज की जा चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.02.15 17:10:30 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आराजी का रेफरेंस एवं नामान्तरकरण के संबंध मे प्रार्थी/फरियादी रणवीर सिंह पुत्र स्व0 बहादुर सिंह के द्वारा प्रस्तुत याचिका एस.बी. क्रिमिनल मिस सेलिनियस याचिका नम्बर 1843/2018 मे माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डायरेक्शन दिये गये है। अभियुक्त सत्यनारायण बसवाल तत्कालीन तहसीलदार प्रकरण मे फरार चल रहा है। जो हर प्रकार से प्रकरण को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। प्रकरण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं स्थाई पुलिस इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी के अतिरिक्त सी.आई.डी.सी.बी./सी.बी.आई. के समक्ष भी जांच मे विचाराधीन है तथा अन्तिम रिपोर्ट चार्जशीट अभी प्रस्तुत नही हुई है। जिसमे किसी भी अन्य कार्यवाही से प्रकरण व जांच प्रभावित होगी तथा अभियुक्तगण को अनुचित लाभ प्राप्त होगा। इसलिए प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही कानूनी प्रावधानों अनुसार नही की जानी चाहिये अन्यथा अभियुक्तगण को उनके विरूद्व दर्ज प्रकरण मे अनुचित लाभ प्राप्त होगा।

यह कि प्रार्थी की जानकारी मे आया है कि तत्कालीन तहसीलदार सत्यनारायण बसवाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे प्रस्तुत याचिकाये खारिज होने के उपरान्त प्रकरण को प्रभावित करने के लिये पुनः अपने पद का दुरूपयोग व संबंधो के प्रभाव का इस्तेमाल कर उपरोक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र नामान्तरकरण संख्या 1209 दिनांक 12.01.2015 ग्राम दीलोद निरस्ती के संबंध मे प्रस्तुत करवाया है। ताकि प्रकरण मे उसके विरूद्व गिरफ्तारी एवं अग्रिम कार्यवाही मे रिलीफ प्राप्त कर सके। परन्तु इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त कपट पूर्वक आशय से की गई कार्यवाही को आगे बढाने एवं किसी भी प्रकार का निर्णय पारित करने से पूर्व चल रही प्रकरण की जांच एवं परिणाम प्रभावित होगे। इसलिये अप्रत्यक्ष रूप से फरार अभियुक्तगण कानूनगो, तहसीलदार को सहयोग प्राप्त नही होना चाहिये।

यह कि उपरोक्त रेफरेंस एवं उस पर की गई कार्यवाही में मृतक बहादुर सिंह पुत्र जवान सिंह निवासी सीमलिया को पक्षकार बनाकर कार्यवाही की गई तथा उस पर मृतक को नोटिस प्रेषित कर दिया गया। जबकि संबंधित बहादुर सिंह जो प्रार्थी का पिता है, वह पहले ही फोत हो चुका है। जिसके विरूद्व या जिसके संबंध मे किसी प्रकार की कार्यवाही कानून सही नही है तथा तरन्तु प्रभाव से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण मे आगे की गई किसी भी प्रकार की कार्यवाही दर्ज प्रकरण एफ.आई.आर. क्रमांक 153/2017 मे वर्ष 2017 से वर्तमान तक की समस्त पुलिस इन्वेस्टीगेशन, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा पारित आदेश एवं कार्यवाही को दुषित व निष्प्रभावी करने की सम्भावना को व्याप्त करती है। जो अवैध एवं अवैधानिक है। प्रार्थी अत्यन्त वृद्व व्यक्ति है, जिसका स्वास्थ्य खराब रहता है एवं कार्यवाही हेतु स्वंय आने जाने मे असमर्थ है। इस कारण आपत्ति एवं प्रार्थना पत्र जर्ये अधिवक्ता व न्यायमित्र प्रस्तुत है।

उक्त प्रकरण मे आपत्ति एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त रेफरेंस पर की जा रही कार्यवाही को स्थगित [illegible] किये जाने एवं उपरोक्त वर्णित प्रकरण एफ.आई.आर. क्रमांक 153/2017 अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आई.पी.सी. मे इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी द्वारा जांच पूरी कर अन्तिम चार्जशीट सभी मुलजिमान के खिलाफ न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिये जाने तक रेफरेंस प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.02.15 17:10:30 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकरण में दिनांक 12.10.2020 को अप्रार्थी क्रम 2/1 रणवीर सिंह की ओर से जर्ये विद्वान अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण मे तत्कालीन तहसीलदार सत्यनारायण बसवाल भी गिरफ्तार होकर जमानत पर है। उक्त प्रकरण मे पूर्व मे आपत्ति की वजह पूर्ण हो चुकी है। अतः प्रकरण मे दुरूस्ती का आदेश विलम्ब करने का कोई कारण शेष नही है। प्रकरण में जिस विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल खोला गया है, उसका रिकार्ड उप पंजीयक द्वितीय कार्यालय, कोटा में नहीं हैं। जिसकी पुष्टि हेतु प्रमाणित प्रति पत्रावली में संलग्न है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1209 दिनांक 12.1.2015 को निरस्त कर पूर्व खातेदार के नाम दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा प्रकरण में राजस्थान सरकार जर्ये श्री सत्यनारायण बसवाल तत्कालीन तहसीलदार छबडा की ओर से पेरोकार सरकार एवं हल्का पटवारी के अभिभाषक एवं अप्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन करने एवं मनन विश्लेषण करने पर पाया गया कि ग्राम दीलोद तहसील छबडा जिला बारॉ के इन्तकाल नम्बर 1209 दिनांक 12.01.2015 से संबंधित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.7.78 का रिकार्ड उप पंजीयक कार्यालय कोटा मे उपलब्ध नही होने के कारण, उक्त इन्तकाल निरस्त किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी तहसीलदार छबडा द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र को इस आशय के साथ स्वीकार किया जाता है कि सक्षम न्यायालय में उक्त नामान्तरण के सम्बन्ध में विचाराधीन आपराधिक प्रकरण में आरोपी तत्कालीन तहसीलदार, पटवारी व अन्य को कोई फायदा प्राप्त नहीं होगा, साथ हीं अप्रार्थी क्रम 2 के कायम मुकामान क्रम 2/1 (जो कि रिकार्ड पर उपलब्ध है) के खातेदारी अधिकारों की संरक्षा के उद्देश्य से भी स्वीकार किया जाता है। अतः नामान्तरण संख्या 1209 दिनांक 12.01.2015 ग्राम दीलोद, तहसील छबड़ा को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 14.01.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.02.15 17:10:30 IST
Reason: SelfAttested